कार्यालय, जिला पंचायत धमतरी (छ.ग.)

ई–मेल आईडी zp-dhamtari.cg@nic.in एवं दूरभाष कमांक 07722–232501, फैक्स नं. 07722–236705

//प्रेस विज्ञप्ति//

क्रमांक /3962/ जि.पं. / PMAY-G / 2024 धमतरी, दिनांक 23.08.2024

संचालक, संचानालय, प्रधानमंत्री आवास मित्र ग्रामीण, विकास भवन , प्रथम तल, सेक्टर 19, नार्थ ब्लाक, नवा रायपुर, अटल नगर छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 891/274/प्र.मं.आ.यो.ग्रा. अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 30.07.2024 के मार्गदर्शिका में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का मूल उद्देश्य प्रदेश के सभी आवासहीन तथा बेघर परिवारों को माह मार्च 2024 तक बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान उपलब्ध कराना है। योजना का उद्देश्य वर्ष 2024 तक आवासहीन परिवारों को साफ–सुथरे रसोई घर के साथ शौचालय युक्त मकान उपलब्ध कराना है। प्रदेश में वृहद स्तर पर निर्मित किए जाने वाले आवासों को ध्यान में रखते हुए, हितग्राहियों को तकनीकी मार्गदर्शन एवं सामग्री की उपलब्धता से सहायता से दृष्टिकोण से 150 हितग्राहियों के लिए कलस्टर में 01 "समर्पित मानव संसाधन" की सेवा लेने का निर्णय लिया जाना है। "समर्पित मानव संसाधन" को प्रति आवास पूर्णता पर 1000 रू. की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।

योंजनांतर्गत "आवास मित्र/समर्पित मानव संसाधन" के पूर्ति के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, नियम शर्ते एवं आवेदन पत्र दिनांक 20/09/ 2024, शाम 05:30 बजे तक प्रारूप में स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत धमतरी/कुरूद/मगरलोड/नगरी के नाम से प्रेषित किया जावें। अधिक जानकारी के लिए जिला धमतरी के वेब साईट– www.dhamtari.nic.in एवं www.dhamtari.gov.in पर देखा जा सकता है तथा डाउनलोड किया जा सकता है। अन्य जानकारी जिला पंचायत, जनपद पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा किया गया है।

उपरोक्त जानकारी में IT Act 2000 एवं Aadhar Act 2016 का अनुपालन किया गया है।

23/8/24

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत धमतरी

पृ. क्रमांक /3963/ जि.पं. / PMAY-G / 2024 धमतरी, दिनांक 23.08.2024

प्रतिलिपि :–

01- संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), इंद्रावती भवन, अटल नगर रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ।
02- कलेक्टर, जिला धमतरी की ओर सादर सूचनार्थ।
03- जिला सूचना अधिकारी, NIC धमतरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
04- जिला जनसंपर्क अधिकारी, जिला धमतरी की ओर सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु प्रेषित।
05- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत धमतरी/कुरूद/मगरलोड/नगरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत धमतरी

कार्यालय जिला पंचायत धमतरी

E-mail add: zp-dhamtari.cg@nic.in Phone no. 07722-232501, 232560, 232561 Fax no. 07722-236705

//विज्ञापन//

क्रमांक /3964/ जि.पं. / PMAY-G / 2024 धमतरी, दिनांक 23.08.2024

संचालक, संचानालय, प्रधानमंत्री आवास मित्र ग्रामीण, विकास भवन , प्रथम तल, सेक्टर 19, नार्थ ब्लाक, नवा रायपुर, अटल नगर छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 891/274/प्र.मं.आ.यो. ग्रा. अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 30.07.2024 के मार्गदर्शिका में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का मूल उद्देश्य प्रदेश के सभी आवासहीन तथा बेघर परिवारों को माह मार्च 2024 तक बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान उपलब्ध कराना है। योजना का उद्देश्य वर्ष 2024 तक आवासहीन परिवारों को साफ–सुथरे रसोई घर के साथ शौचालय युक्त मकान उपलब्ध कराना है। प्रदेश में वृहद स्तर पर निर्मित किए जाने वाले आवासों को ध्यान में रखते हुए, हितग्राहियों को तकनीकी मार्गदर्शन एवं सामग्री की उपलब्धता से सहायता से दृष्टिकोण से 150 हितग्राहियों के लिए कलस्टर में 01 ''समर्पित मानव संसाधन'' की सेवा लेने का निर्णय लिया जाना है। ''समर्पित मानव संसाधन'' को प्रति आवास पूर्णता पर 1000 रू. की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।

योजनांतर्गत ''आवास मित्र/समर्पित मानव संसाधन'' के पूर्ति के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, नियम शर्तें एवं आवेदन पत्र **दिनांक 20/09/2024, शाम 05:30 बजे** तक प्रारूप में स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत धमतरी/कुरूद/मगरलोड/नगरी के नाम से प्रेषित किया जावें। अधिक जानकारी के लिए जिला धमतरी के वेब साईट– www.dhamtari.nic.in एवं www.dhamtari.gov.in पर देखा जा सकता है तथा डाउनलोड किया जा सकता है। अन्य जानकारी जिला पंचायत, जनपद पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा किया गया है।

आवास मित्र/समर्पित मानव संसाधन प्रोत्साहन राशि एवं शैक्षणिक योग्यता/अर्हताएँ

विकास खंड का नाम	आवास मित्र/समर्पित मानव संसाधन की संख्या	प्रोत्साहन राशि	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता	चयन/अंक निर्धारण की प्रक्रिया
धमतरी	51	प्रति आवास पूर्णता पर 1,000 रूपये की प्रोत्साहन दी जावेगी	12वीं उत्तीर्ण	1.हायर सेकेण्डरी परीक्षा में उत्तीर्ण प्राप्त प्राप्तांक के प्रतिशत अंको को 65 अंक प्रतिशत के आधार पर गणना करते हुए मैरिट सूची गणना का निर्धारित किया जावेगा:– 2.बी.ई./डिप्लोमा उत्तीर्ण –15 अंक मानकर निर्धारण किया जावेगा। 3.पूर्व में कार्यरत आवास मित्र – 20 अंक 4.बेयर फुट टेक्निशियन (BFT) –10 अंक 5.महिला स्वसहायता समूह (SHG) के सदस्य तथा बैंक सखी – 10 अंक
कुरूद	70			
मगरलोड	49			
नगरी	78			
योग	**248**			

नियम एवं शर्ते :–

1. **क्लस्टर निर्माण :–**
   जिला पंचायत स्तर पर पंचायतवार आवास निर्माण के लक्ष्य को देखते हुए संबंधित जनपदवार पंचायतों को समूहों में विभाजित कर क्लस्टर का निर्माण किया जावेगा। प्रत्येक समूह में 01 **"आवास मित्र समर्पित मानव संसाधन"** रखने का प्रयाश किया जावे यथासंभव एक समूह में 150 आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया जावेगा, परंतु यह ध्यान रखा जाए कि कोई ग्राम पंचायत को विभाजित नहीं किया जाएगा।
2. **शैक्षणिक योग्यता :–**
   - बी.ई./डिप्लोमा/12वीं उत्तीर्ण बेरोजगार युवा अभ्यर्थी **"समर्पित मानव संसाधन"** चयन के लिए पात्र होगें। बी.ई. सिविल तथा डिप्लोमा सिविल, एम.ए. (ग्रामीण विकास) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नामो पर विचार किया जावेगा।
   - **"समर्पित मानव संसाधन"** के चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
   - चयनित अभ्यर्थी को उनके गृह ग्राम के कलस्टर पर नियुक्ति किया जावेगा। अभ्यर्थी न मिलने पर समीपस्थ क्लस्टर में सेवा ली जावेगी।
   - **"समर्पित मानव संसाधन" के रूप में जिला प्रशासन स्थानीय आवश्यकता अनुरूप पूर्व में कार्यरत आवास मित्र,** महिला स्वसहायता समूह (SHG) के सदस्य, बेयर फुट टेक्निशियन (BFT), बैंक सखी एवं अन्य अधीनस्थ अमले का भी नियम अनुसार चयन कर सकते है।
3. **चयन का आधार :–** अभ्यर्थियों का चयन 12वीं में प्राप्त अंकों के मैरिट के आधार पर किया जावेगा एवं अंको की गणना निम्नानुसार की जावेगी।
   1. हायर सेकेण्डरी परीक्षा में उत्तीर्ण प्राप्त प्राप्तांको के प्रतिशत अंकों के मैरिट के आधार पर अंको की गणना 65 अंक प्रतिशत मानकर निर्धारित किया जावेगा
   2. बी.ई./डिप्लोमा उत्तीर्ण –15 अंक मानकर निर्धारण किया जावेगा।
   3. पूर्व में कार्यरत आवास मित्र – 20 अंक
   4. बेयर फुट टेक्निशियन (BFT) –10 अंक
   5. महिला स्वसहायता समूह (SHG) के सदस्य तथा बैंक सखी – 10 अंक
4. **आवेदन :–** जिला पंचायत द्वारा इच्छुक आवेदकों से आवेदन प्राप्त किया जावेगा। आवेदक अपने निवास क्षेत्र के जनपद पंचायत के लिए ही आवेदन कर सकेंगें।
5. **आयु :–** "समर्पित मानव संसाधन" हेतु 18 वर्ष से 45 वर्ष आयु समूह अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र होगें।
6. **चयन समितिः–** जिला पंचायत स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया जावेगा। समिति में जिला पंचायत के परियोजना अधिकारी (ग्रामीण विकास विभाग से) या उनकी अनुपस्थिति में विभागीय समकक्ष अधिकारी, सदस्य सचिव होंगे। समिति में कोई एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के लेखाधिकारी सदस्य होंगे।

   जिला पंचायत स्तर पर गठित समिति द्वारा अभ्यर्थियों के चयन पश्चात् पात्र अभ्यर्थियों की सूची संबंधित जनपद पंचायत को उपलब्ध कराई जावेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा जिला पंचायत से उपलब्ध करायी गयी अभ्यर्थियों की सूची में शामिल अभ्यर्थियों की सेवा निर्धारित क्लस्टर में **" समर्पित मानव संसाधन "** के रूप में ली जावेगी।

7. **प्रोत्साहन राशि :–** **"समर्पित मानव संसाधन"** को प्रति पूर्ण आवास के मान से निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि दी जावेगी :–

- **"समर्पित मावन संसाधन"** को प्रति आवास पूर्णता पर 1,000 रू. की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।
- **"समर्पित मानव संसाधन"** को 12 माह के भतीर आवास पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। 12 माह पश्चात् भी यदि आवास पूर्ण नहीं होता है, तो प्रत्येक तिमाही में प्रोत्साहन राशि में से 100 रूपये के मान से कटौती की जावेगी।
- 300 रूपये प्रति आवास पंजीयन, जियो टैगिंग, स्वीकृति, प्रथम किश्त जारी तथा ले–आउट होने के पश्चात्।
- 300 रूपये प्रति आवास जियो टैगिंग, गुणवत्ता युक्त आवास एवं राशि छत ढलाई पूर्ण होने के पश्चात्।
- 400 रूपये प्रति आवास, जियो टैगिंग, प्लास्टर, पोताई, खिड़की/दरवाजा लोगो पूर्ण होने के पश्चात्।

8. **राशि का भुगतान :–** **"समर्पित मानव संसाधन"** को सेवा के बदले दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि योजनांतर्गत 1.7 % Contingency मद से, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा भुगतान किया जावेगा।

9. **समयावधि :–** **"समर्पित मानव संसाधन"** को 12 माह के भीतर आवास पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। 12 माह पश्चात् भी यदि आवास पूर्ण नहीं होता है, तो प्रत्येक तिमाही में प्रोत्साहन राशि में से 100 रूपये के मान से कटौती की जावेगी।

10. **अवधि की गणना :–** **"समर्पित मानव संसाधन"** के लिए कार्य प्रारंभ करने की अवधि की गणना प्रथम किश्त की राशि जारी होने के साथ ही की जावेगी। साथ ही मार्गदर्शिका के अनुसार समर्पित मानव संसाधन को 12 माह के भीतर आवास पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। तो प्रत्येक तिमाही में प्रोत्साहन राशि में से 100 रूपये के मान से कटौती की जावेगी।

11. **जॉब चार्ट :–**

- हितग्राहियों का उन्मुखीकरण करना।
- 12 माह की समय–सीमा में आवास पूर्ण कराना।
- आवास निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री रियायती दर पर उपलब्ध कराने हेतु जनपद पंचायत से समन्वय कराना।
- हितग्राही तथा जनपद पंचायत के मध्य समन्वय करना।
- आवास निर्माण के Stage Wise जनपद पंचायत को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना एवं आवास सॉफ्ट में MIS Entery सुनिश्चित करना।

12. **विशेष :–**

- चयनित **"समर्पित मानव संसाधन"** प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण के संबंध में शासन–प्रशासन द्वारा जारी आदेश/निर्देशों को पालन करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

13. अन्य शर्तेः–

1. परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार विज्ञप्ति पदों की संख्या में कमी/वृद्धि अथवा विज्ञप्ति निरस्त की जा सकती है। जिसके लिए किसी प्रकार का दावा/वाद मान्य नही किया जायेगा तथा यह अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धमतरी के पास सुरक्षित होगा।
2. भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी विवाद अथवा समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित रहेंगे।
3. प्राप्त आवेदनों के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
4. आवास मित्र की सेवा अवधि उनके प्रभार के कलस्टर के प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के आवास पूर्ण होने तक या अधिकतम 01 वर्ष के लिये होगी।
5. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटि पूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई सूचना नही दी जावेगी एवं आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा।
6. आवेदन पत्र में चस्पा किया गया फोटो तथा संलग्न समस्त दस्तावेज स्वप्रमाणित होना आवश्यक है, अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।
7. शैक्षणिक योग्यता हेतु शासन से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय के यथा स्थिति प्रमाण पत्र/उपाधि मान्य होगें
8. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। अनिवार्यः छायाप्रति संलग्न किया जावें।
10. विस्तृत नियम–शर्तें एवं आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालय कलेक्टर, जिला–धमतरी, कार्यालय जिला पंचायत–धमतरी एवं कार्यालय जनपद पंचायत–धमतरी/कुरूद/मगरलोड/नगरी के सूचना पटल पर तथा जिले के वेबसाईट www.dhamtari.nic.in, तथा www.dhamtari.gov.in पर भी देखा जा सकता है।

23/8/24

(रोमा श्रीवास्तव)
आई.ए.एस
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत धमतरी

कार्यालय जिला पंचायत धमतरी, छत्तीसगढ़

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 2024

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत " आवास मित्र/ समर्पित मानव संसाधन हेतु आवेदन पत्र

आवेदक का अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो।

जनपद पंचायत........................क्लस्टर का नाम..............................ग्राम का नाम...................

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत– धमतरी (छ.ग.)
पिनकोड– 493773

1 अभ्यर्थी का नाम –(हिन्दी में) ....

(अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में)

2. पिता/पति का नाम – (हिन्दी में) ....

(अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में)

3. जन्म तिथि(अंको | | | | | | | | | | में) 3.1लिंग – पु/म.

शब्दों में ....
दिनांक 01.01.2024 की स्थिति में आयु – ....वर्ष .... माह .... दिन ....
(हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करें)

4. जाति (अनु.जाति/अनु.जनजाति/अ.पि.व./सामान्य) उल्लेख करें – ....

(आरक्षित प्रवर्ग का होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

5. क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है.? ....

(छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाणपत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।)

6. क्या आप निःशक्त है? – .... यदि हाँ तो, निःशक्तता का प्रतिशत – ....%
एवं निःशक्तता का प्रकार (अस्थि/श्रवण/दृष्टि/अन्य) – ....

(जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी वैद्य /अद्यतन निःशक्तता प्रमाणपत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

7. क्या आप विज्ञापन में दी गई न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करते हैं ? – ....

8. शैक्षणिक योग्यता – (शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्रों की सत्यापति छायाप्रति संलग्न करें)

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	परीक्षा में सम्मिलित विषय/विषय समूह का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत
1	हाई स्कूल					
2	हायर सेकेण्डरी					
3	एम.ए.(ग्रामीण विकास)					
4	बी.ई.सिविल/डिप्लोमा सिविल					
5	अन्य (विज्ञापन में निर्दिष्ट)					

9. क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं ? – ....(यदि हॉ तो प्रमाणपत्र संलग्न करें)

10. पत्राचार का पता – ....

....

....(मो.नं.) ....

11. स्थायी पता – ....

....

....

12. यदि आप पूर्व में कार्यरत आवास मित्र/बेयर फुट टेक्निशियन/महिला स्वसहायता समूह के सदस्य तथा बैंक सखी/में सेवारत है तो निम्नलिखित प्रारूप को भरें एवं नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करें :–

कार्यरत पद का नाम	कार्यालय का नाम	कार्यरत अवधि कब से कब तक
		.... से .... (कुल अवधि) ....

13. वैवाहिक स्थिति (विवाहित/अविवाहित) – ....

14. यदि विवाहित हैं तो विवाह की तिथि – .... बच्चों की संख्या – ....

सभी बच्चों की जन्मतिथि – ....

(सरपंच/पार्षद द्वारा जारी विवाह एवं जीवित संतान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें एवं विवाहित महिला अभ्यर्थी शपथ पत्र प्रस्तुत करें)

15. अभ्यर्थी का घोषणा पत्र –

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त फार्म में बिन्दु क्रमांक 01 से 15 तक की दी गई सम्पूर्ण जानकारी सत्य है । किसी भी प्रकार की गलती या गलत जानकारी के कारण मुझे चयन प्रकिया से निष्काषित किया जा सकता है एवं मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। मैने यह आवेदन सम्पूर्ण विज्ञापन को पढ़कर एवं समझकर भरा है। विज्ञापन में दिये गए नियमों के अनुसार मुझे आवास मित्र/समर्पित मानव संसाधन के पद पर आवेदन करने की पात्रता है, जिसे आवश्यकता होने पर प्रमाणित करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी है।

स्थान :– .... अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

दिनांक :– ....

नाम – ....

नोट – आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के बाद अर्जित योग्यता मान्य नहीं होगी। उपरोक्त कंडिकाओं से संबंधित प्रमाण–पत्र ही संलग्न करे। संलग्न किए जाने वाले प्रमाण पत्रों को निम्नांकित कम में रखी जावे।

संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची –

1. हाई स्कूल का प्रमाण पत्र
2. हायर सेकेण्डरी स्कूल का प्रमाण पत्र
3. एम.ए.(ग्रामीण विकास)
4. बी.ई.सिविल/डिप्लोमा सिविल
5. अन्य अनुभव(अन्य जो विज्ञापन में निर्दिष्ट हों)
6. निःशक्तता का वैध प्रमाण पत्र
7. अनापत्ति प्रमाण पत्र
8. भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र
9. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र
10. छ.ग.निवासी प्रमाण पत्र।